न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 121/2018

GCMS Case No. 2018/00154

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये तहसीलदार सोजत		ग्राम पंचायत बगडी नगर तहसील सोजत जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–:: आदेश ::–

दिनांक 11.3.2024

प्रार्थी तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में प्रस्तुत किया, अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से सरकारी पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बगडी नगर पटवार मण्डल बगडी तहसील सोजत के खसरा नम्बर 2146 रकबा 4.47 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी के नाम दर्ज है। ग्राम बगडी नगर के मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नम्बर 2146 की भूमि गत खसरा नम्बर 2178 मि. से बने हैं। गत खसरा नम्बर 2178 मि. भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाडी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। नियमन आदेश क्रमांक/800 दिनांक 21.09.1981 के अनुसार खसरा नम्बर 2146 में से 4.47 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत बगडीनगर को आवंटन की गई। आवंटन की पालना में आवंटी ग्राम पंचायत बगडी नगर को जरिये नामान्तरकरण संख्या 147 के जरिये खातेदार दर्ज किया गया, चूंकि इस भूमि कि किस्म गैर मुमकिन नाडी थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार प्रदान किये जा सकते है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि कि किस्म गै.मु. नाडी थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित थी। अतः आवंटन आदेश क्रमांक/800 दिनांक 21.09.1981 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 07.10.1982 को अपास्त करावें एवं साथ ही इसके पश्चातवर्ती क्रम में हुए हस्तान्तरण के आधार पर दायर सभी नामान्तरकरण को अपास्त कराते हुए भूमि की किस्म पुनः गै.मु. नाडी दर्ज कराने तथा भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम बगडी नगर पटवार मण्डल बगडी तहसील सोजत

अति. जिला कलेक्टर, पाली

के खसरा नम्बर 2146 रकबा 4.47 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी के नाम दर्ज है तथा गत जमाबन्दी अनुसार खसरा नम्बर 2146 किस्म बारानी प्रथम दर्ज थी। ग्राम बगडी नगर के मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नम्बर 2146 की भूमि गत खसरा नम्बर 2178 मि. से बने हैं तथा गत खसरा नम्बर 2178 मि. भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाडी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। आवंटन आदेश क्रमांक/800 दिनांक 21.09.1981 के जरिये खसरा नम्बर 2146 में से 4.47 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत बगडी नगर को आवंटन की गई। उक्त आंवटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 147 के जरिये आवंटी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया, चूंकि पूर्व में इस भूमि कि किस्म गै.मु.नाडी थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है तथा न ही किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

आवंटन आदेश क्रमांक/800 दिनांक 21.09.1981 द्वारा आवंटी ग्राम पंचायत बगडी नगर के नाम गैर मुमकिन नाडी की भूमि में से 4.47 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया, जो अप्रार्थी के नाम बतौर गै.मु. आबादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि कि किस्म गै.मु.नाडी थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित थी। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. नाडी दर्ज की जानी हैं। अतः आवंटन आदेश क्रमांक/800 दिनांक 21.09.1981 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 147 निरस्त योग्य हैं।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि आवंटन आदेश क्रमांक/800 दिनांक 21.09.1981 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 147 एवं साथ ही इसके पश्चातवर्ती क्रम में हुए समस्त नामान्तरकरण को अपास्त करते हुए ग्राम बगडी नगर तहसील सोजत के खसरा नम्बर 2146 रकबा 4.47 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी से पुनः गै.मु.नाडी दर्ज कर एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर,पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली